



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श०)

(सं० पटना 543) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 जून 2017

एस०ओ० 63, दिनांक 28 जून 2017—बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 13) की धारा—1 की उप—धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 13) के सभी उपबंध दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/संशोधन/01/2017-2171)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

28 जून 2017

एस०ओ० 64, एस०ओ० 63 दिनांक 28 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/संशोधन/01/2017-2171)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

***The 28th June 2017***

S.O.63 dated 28<sup>th</sup> June 2017—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 1 of the Bihar Taxation Law Amendment Act, 2017 (Bihar Act 13 of 2017), the Governor of Bihar is pleased to declare that all the provisions of Bihar Taxation Law Amendment Act, 2017 (Bihar Act 13 of 2017) shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July' 2017.

[(File No. Bikri-kar/Sanshodhan/01 /2017-2171)]

By order of Governor of Bihar,

**SUJATA CHATURVEDI,**

*Commissioner-cum-Principal Secretary*

*Commercial Taxes Department.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 543+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>